BSES

स्टील ट्यूब निर्माता व मकान मालिक समेत दो को बिजली चोरी में जेल

- मकान मालिक चरणजीत व एंटेना वायर यूनिट के मालिक व बॉबी 54. 4 किलोवॉट बिजली चोरी करते पकड़े गए
- दोनों पर 48. 5 लाख रूपये का जुर्माना किया गया
- स्टील ट्यूब निर्माता पशुपति को 10 किलोवॉट बिजली चोरी करते पकड़ा गया
- उस पर 5.95 लाख का जुर्माना
- जुर्माने की रकम न चुकाने पर चरणजीत व पशुपति को भेजा गया जेल

नई दिल्ली, 20 दिसंबर, 2007। वैसे तो आम मान्यता है कि बिजली चोरी सिर्फ समाज के निचले तबके के लोग ही करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। न सिर्फ मकान मालिक बल्कि उद्योगों के मालिक भी बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करते पकड़े जा रहे हैं। समाज के संपन्न तबके में भी किस कदर बिजली चोरी जारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जिन दो लोगों को बिजली चोरी के आरोप में तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया गया है, उनमें से एक व्यक्ति स्टील ट्यूब निर्माता है, और दूसरा एक मकान का मालिक है, जहां स्थित एंटेना वायर ड्रॉइंग यूनिट में बिजली चोरी हो रही थी।

एंटेना वॉयर ड्रॉइंग यूनिट के मालिक चुरा रहे थे 54.4 किलोवॉट बिजली

पिछले दिनों एक उपभोक्ता ने बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम को सूचना दी कि पुरानी सीलमपुर के राज मार्केट में मास्को एस्टेट स्थित एंटेना वॉयर ड्रॉइंग यूनिट के मालिक बॉबी और मकान मालिक चरणजीत 54.4 किलोवॉट बिजली की चोरी कर रहे हैं। जब एन्फोर्समेंट टीम का छापा पड़ा, तो टीम ने देखा कि वहां तीन फेज वाले बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी की जा रही थी। यही नहीं, वहां बीएसईएस की तार पर कंटिया डाल कर भी बिजली की चोरी हो रही थी। भारी पैमाने पर हो रही बिजली चोरी के मद्देनजर भारतीय बिजली कानून के मुताबिक बॉबी (एंटेना वॉयर डॉइंग यूनिट के मालिक) और चरणजीत (उस मकान के मालिक, जहां वह यूनिट चल रही थी) पर 48.5 लाख रूपये का जुर्माना किया गया।

लेकिन आरोपियों ने जुर्माने की रकम तय समय के भीतर जमा नहीं करवाई। इसके बाद बीएसईएस ने स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने चरणजीत सिंह को गिरफ्तार किया और उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दूसरा आरोपी बॉबी अभी फरार है।

स्टील ट्यूब निर्माता पशुपति कर रहा था 10 किलोवॉट बिजली की चोरी

पिछले दिनों दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के साथ मिलकर बीएसईएस द्वारा की गई छापेमारी में 8/78, नाला के निकट, राम गली, विश्वास नगर, शाहदरा निवासी पशुपति को 10 किलोवॉट बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। उस पर 5.95 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन आरोपी ने उसका भुगतान तय समयसीमा के अंदर नहीं किया। फिर बीएसईएस ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उसे तिहाड़ जेल भेज दिया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस- 39999870१ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस- 39999088१ 9350130304